



प्रेस विज्ञप्ति
05/08/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने 30.07.2024 को बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समितियों (एमपीएसीएस), विकासनगर, देहरादून और जनता के धन के गबन से संबंधित एक मामले में भारती देवी, तत्कालीन लेखा सहायक, बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समितियां लिमिटेड और उनके बेटे रवि कुमार के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 03.08.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने विकासनगर पीएस, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी भारती देवी ने एमपीएसीएस, विकासनगर के रिकॉर्ड/दस्तावेजों में हेरफेर करके एमपीएसीएस और जनता के धन का गबन किया है। आरोपी ने अपने मौद्रिक लाभ के लिए सहकारी समिति और जनता के धन का गबन करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया है।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत भारती देवी और अन्य के मामले में 3.80 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 03 अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए थे।

आगे की जांच जारी है।